the team was also apprised of growing financial and developmental needs of the State in view of the gradual improvement in the law and order situation and the reactivation of the development administration that has become possible due to the sustained and concerted efforts on the parts of the Central and State Government. The Centre is providing Special Central Plan Assistance to meet the resource gap on Non-plan side so that the Plan Outlays fixed for the State can be spent entirely on development works/programmes without diversion to bridge Non-plan gaps as in the last few years.

Government's stand on talk with militants

527. SHRI JAGMOHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have recently changed its earlier stand of talking to Kashmir militants only within the framework of the Indian Constitution to now talking to them even outside the Constitution;

4 (b) if so, what are the reasons thereof; and

(c) what has been the reaction of the militants, orgaisations to the change?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

बड़े उद्योगों द्वारा "सेनीटरी टॉवल" का उत्पादन

528. **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुष्मा स्वराज:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि "सेनीटरी टॉवल" का उत्पादन लघु उद्योग क्षेत्र की आरक्षित सूची में है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कतिपय बड़ी और बहुराष्ट्रिक कंपनियों को "सेनीटरी टॉवल" का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या हैं और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है तथा यह देश की कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत होगी;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन संगठनों की निर्यात वचनबद्धता 75 प्रतिशत है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इन संगठनों ने इन वर्षों के दौरान इस करार का उल्लंघन किया है; और

(च) यदि हां, तो इन उल्लंघनों का लघु उद्योगों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना निम्नलिखित है:—

— आरक्षण से पूर्व बहुराष्ट्रीय कम्पनी मैसर्ज जानसन एण्ड जानसन इंडिया लिमिटेड को प्रतिवर्ष सेनीटरी प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स और सेनीटरी पेडों के 6 मिलियन नग के विनिर्माण के लिये अनुमति दी गई थी।

— दूसरी बहुराष्ट्रीय कम्पनी मैसर्ज प्रोक्टर एण्ड गैम्बल इंडिया लिमिटेड को 75 प्रतिशत निर्यात दायित्व की शर्त पर प्रतिवर्ष दस करोड़ पोलीथीलीन नेटिंग सेनीटरी पैडों के विनिर्माण की क्षमता आशय पत्र 1992 में दिया गया था।

— मैसर्ज एम॰आर॰एस॰ हाईजीन प्रोडक्टस लिमिटेड दिल्ली को 75 प्रतिशत निर्यात दायित्व की शर्तों पर प्रतिवर्ष सेनीटरी नेपकिन के 144 मिलियन नग की उत्पादन क्षमता का आशय पत्र 1991 में दिया गया था।

(ङ) और (च) कुछेक बड़े उद्योग एककों द्वारा करार के उल्लंघन संबंधी शिकायतें प्राप्त की गई हैं और इन शिकायतों की जांच की जा रही है। यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है तो इन कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की जायेगी।

Utilisation of Funds for Wasteland Development

529. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether vast sums of money have been wasted into wasteland development over the last three years;

(b) the details of the amount invested in the development of wastelands; and

(c) the results on this investment in the last three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF WASTLANDS DEVELOPMENT) (COL. RAM SINGH): (a) No, Sir.

(b) and (c) Tree planting/afforestation activities are carried out under Point No. 16 of the 20-Point Programme on land including wastelands. An amount of

Rs. 2610.37 crores has been invested during the last three years from which an area of 2.971 milion hectares has been developed and 339.15 crore seedlings have been distributed for planting on private lands. This programme also includes the wastelands development activities carried out under the following schemes of Department of Wastelands Development:—

(1) Integrated Wastelands Development Project Scheme.

(2) Investment Promotional Scheme.

(3) Grant-in-Aid Scheme.

(4) Technology Development, Extension and Training.

(5) Wastelands Development Task Force.

Malaria Cases in Dhupguri Division of Jalpaiguri

530. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in "The Hindustan Times" dated the 25th June, 1995 according to which 32 people lost their lives due to malaria in Dhupguri division of Jalpaiguri district of West Bengal; and

(b) if so, the steps taken by Government to provide relief to the affected district and to eradicate the malaria disease from this region?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA): (a) The news report has come to Government's notice. Till the end of June, 1995, 10 deaths due to Malaria have been reported from Jalpaiguri district. In addition, 26 deaths were suspected to have occurred due to Malaria.

(b) The steps taken included:—

— Provision of adequate quantities of drugs and insecticides ensure availability in the affected areas/ villages;

— Early detection and prompt treatment of cases;

— Vector Control to interrupt transmission by use of effective insecticides;

— Anti-larval measures with larvicides to eliminate mosquito breeding sources;

— Intensification of Health Education activities to create awareness among the people to prevent Malaria; and

— Community involvement in drug distribution and prophylactic measures.

कज़ाकिस्तान के साथ संयुक्त उद्योग लगाने का प्रस्ताव

531. श्री सत्य प्रकाश मालवीय:
श्री अनन्तराम जायसवाल:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कज़ाकिस्तान ने भारत के साथ विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम लगाने के लिये सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव रखा है या भारतीय उद्यमियों को अपने देश में पूंजी निवेश करने के लिये आमंत्रित किया है; और

(ख) यदि हां, तो कज़ाकिस्तान में भारतीय उद्यमियों द्वारा संयुक्त उद्यम लगाने संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है और सरकार इस संबंध में कब तक निर्णय लेगी?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) डा० बलराम जाखड़, केन्द्रीय कृषि मंत्री और श्री एम० एल० मेट्टे, कज़ाकिस्तान गणतंत्र के प्रथम उप-प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 24 मई, 1995 को हुए भारत-कज़ाक संयुक्त आयोग के दूसरे सत्र के दौरान दोनों पक्षों द्वारा विभिन्न संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं तथा आर्थिक सहयोग के अन्य रूपों के बारे में विचार-विमर्श किया गया। कज़ाकिस्तान गणतंत्र के प्रथम उप-प्रधान मंत्री ने भारतीय व्यापारियों को संबोधित करते हुए उन्हें कज़ाकिस्तान में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों शिष्टमंडलों ने कृषि, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, रेलवे, स्वास्थ्य, खान, इलैक्ट्रोनिक्स और बैंकिंग आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं के बारे में विचार-विमर्श किया।